सत्यमेव जयते

डॉ. हिमांशु पाठक
सचिव, एवं महानिदेशक

Dr HIMANSHU PATHAK
SECRETARY (DARE) & DIRECTOR GENERAL (ICAR)

भारत सरकार
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION (DARE)
AND
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH (ICAR)
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI 110 001
Tel.: 23382629; 23386711 Fax: 91-11-23384773
E-mail: dg.icar@nic.in

अपील

हमारा देश भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को अपने में समेटे हुए अपनी अखंडता और अनेकता में एकता के लिए विश्व के सामने एक अनुपम उदाहरण है। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलन में हैं। किन्तु उनमें लगभग 70% लोग हिन्दी भाषा को समझते या बोलते हैं। इस प्रकार हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं के बीच एक सम्पर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। हिन्दी की व्यापकता और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया तथा संविधान में इसका प्रावधान किया और सरकारी कार्यालयों में इसका कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय कार्यालयों में तरह-तरह के पद जैसे हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक आदि बनाए गए। इन सात दशकों में धीरे-धीरे ही सही आज हिन्दी हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। इस कार्य में इलेक्ट्रानिक मीडिया, हिन्दी सिनेमा और हिन्दी न्यूज चैनलों ने काफी मदद की है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा किसान विज्ञान केन्द्र भारत वर्ष के कोने-कोने में ग्राम से लेकर शहर तक में है और हम कृषि अनुसंधान से जुड़ी तकनीकी अथवा प्रशिक्षण अधिकतर हिन्दी में ही देते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गई है। परिषद की वेबसाइट द्विभाषी है। वेबसाइट पर यूआरएल भी हिन्दी में लिखा जा सकता है, कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर भी हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हिन्दी में टाइपिंग की जा सकती है, इन्टरनेट पर सरफिंग की जा सकती है। इतना ही नहीं गुगल ट्रांसलेटर, मंत्र राजभाषा की मदद से हिन्दी अनुवाद भी किया जा सकता है और ट्रांसलिट्रेशन की मदद से हिन्दी का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है।

राजभाषा हिन्दी आम लोगों की भाषा है और यही भाषा ही सरकार के बीच सेतु का काम करती है। यही भाषा सरकार के नीति-निर्णयों को आम लोगों तक पहुँचाती है। अतः जितना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज जनता की भाषा में होगा, उसकी उपयोगिता और सार्थकता भी उतनी ही अधिक होगी। हम अपनी सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और भाषायी सौहार्द बनाए रखते हुए, हमें राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज में निरंतर बढ़ावा देना है। राजभाषा का सम्मान, कार्यान्वयन एवं उसकी प्रगति हम सभी का राष्ट्रीय एवं सांविधिक उत्तरदायित्व है ।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 14 सितंबर को हिन्दी दिवस अथवा उस दौरान हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा या हिन्दी माह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं।

हिन्दी दिवस के इस अवसार पर मैं परिषद मुख्यालय एवं समस्त संस्थानों के सभी कार्मिकों से अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने का आवाहन करता हूँ। कार्यालय में हर कर्मचारी का हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए योगदान चाहिए। साल भर में हमने क्या काम हिन्दी में किया है, इसके लिए क्या प्रयास किया है, यह सोचने का आज महत्वपूर्ण दिन है। हिन्दी के व्यापकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ती प्रगति को बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए।

मैं परिषद व अधीनस्थ संस्थानों में इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन की कामना करता हूँ।

(हिमांशु पाठक)
सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प.